न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
008/2023(रसद) (GCMS 2023/139)	22.06.2023	25.07.2023

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये गोपाल लाल धाकड उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (सामान्य), कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

ओमप्रकाश नाथ पुत्र घासीलाल नाथ उम्र 50 वर्ष निवासी अटल नगर निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षी

उपस्थिति :– गोपाल लाल धाकड (कृषि अधिकारी(सामान्य)) पैरोकार सरकार
नरेश शर्मा अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के नियमों का उल्लघंन करने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत कार्यवाही बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (सामान्य) गोपाल लाल धाकड, जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कृषि अधिकारी (सामान्य) कार्यालय संयुक्त निदेशक जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प0 12(8)कृषि–1/इनपुट/2022 दिनांक 27.03.2023 द्वारा सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिले के लिए उर्वरक निरीक्षक नियुक्त किया गया है। संयुक्त शासन सचिव जयपुर के आदेश क्रमांक/ प. 3(7)(कृषि–1)/2021 एवं कृषि आयुक्तालय का पत्रांक/प–11(1)(जी–39) आ.कृ./ग्रुप–6/10019–300 दिनांक 01.01.2022 द्वारा प्रार्थी को कृषि अधिकारी (सामान्य) कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ के पद पर पदस्थापित किया गया है।

दिनांक 29.04.2023 को संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार चित्तौड़गढ़ को वृत्त निरीक्षक निम्बाहेडा द्वारा दूरभाष पर सूचना मिली की निम्बाहेडा में ईशाकाबाद में नकली खाद का व्यवसाय चल रहा है। इस पर संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार चित्तौड़गढ़ एवं कृषि अधिकारी (सामान्य) मौके पर पहुॅच कर निरीक्षण किया। निरीक्षक के दौरान दुकान में सरदार बायोकेम फर्टीलाईजर द्वारा निर्मित बायो एनपीके (केरियर बेस्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कन्सोर्टीया) के लगभग 405 बेग मौजूद थें। मौके पर प्रतिष्ठान के मालिक ओमप्रकाश नाथ मौजूद थे। जिनसे उर्वरक अनुज्ञापत्र मांगने पर वह नहीं दे पाऐ। न ही प्रतिष्ठान पर कोई वैध उर्वरक अनुज्ञापत्र पाया गया। विक्रेता द्वारा अवैध तरीके से उर्वरक का कारोबार किया जाना एवं भण्डारण किया जाना उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) के क्लॉज 7, 8 व 35 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ओमप्रकाश नाथ द्वारा उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर क्लॉज 28(1डी) के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई। दौराने जब्ती मौके पर गवाहान के रूप में रोशन पुत्र कालु निवासी आदर्श कॉलोनी निम्बाहेडा नरेन्द्र पुत्र मिठूलाल निवासी माहेश्वरी मौहल्ला चित्तौड़गढ़ एवं दिनेश कुमार जागा पुत्र रामचंद्र जागा हाल संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ मौजूद थें। उर्वरक की मात्रा अधिक होने से रात्रि में परिवहन का साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण जब्त उर्वरक की सुपुर्दगी रोशन पुत्र कालु निवासी आदर्श कॉलोनी निम्बाहेडा को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु दी जाकर उर्वरक को खुर्द–बुर्द नहीं किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया। विक्रेता द्वारा अवैध तरीके से उर्वरक का कारोबार किया जाना एवं भण्डारण किया जाना उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) के क्लॉज 7, 8 व 35 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उर्वरक की गुणवत्ता परीक्षण के लिए नियमानुसार मौके पर 1 नमूना आहरित कर अधिसूचित राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाया गया। उर्वरक आवश्यक वस्तु होने के कारण उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 के क्लॉज 28(3) के प्रावधानानुसार कार्यालय पत्रांक 228–29 दिनांक 30.04.2023 द्वारा जिला कलक्टर महोदय को अवगत कराया गया। विक्रेता द्वारा उर्वरक कारोबार में उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) के प्रावधानों का उल्लंघन कर अवैध भण्डारण किये जाने हेतु विधि अनुकूल विस्तृत जांच कर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली निम्बाहेडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0209 दिनांक 30.04.2023 दर्ज करवा दी गई है। इस प्रकार अवैध तरीके से बिना अनुज्ञापत्र उर्वरकों का विक्रय एवं भण्डारण किया जाना उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) के क्लॉज 7, 8 व 35 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अन्त में प्रार्थना की गई कि उर्वरक एवं आवश्यक वस्तु होने के कारण जब्तशुदा उर्वरक का निस्तारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के अन्तर्गत राजसात किये जाने का आदेश करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 25.07.2023 की और से अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी स्वयं हाजिर आया।

हाजिर विपक्षी की और से अधिवक्ता विपक्षी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब्तशुदा माल का प्रार्थी विपक्षी से कोई लेन–देन नहीं है। अतः माल का निस्तारण किया जाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवश्यक एवं न्यायोचित है। विपक्षी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि दिनांक 29.04.2023 को संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार चित्तौड़गढ़ को वृत्त निरीक्षक निम्बाहेडा द्वारा दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुॅच कर निरीक्षण किया। निरीक्षक के दौरान दुकान में सरदार बायोकेम फर्टीलाईजर द्वारा निर्मित बायो एनपीके (केरियर बेस्ड कन्सोर्टीया) के लगभग 405 बेग मौजूद थें। मौके पर प्रतिष्ठान के मालिक ओमप्रकाश नाथ मौजूद थे। जिनसे उर्वरक अनुज्ञापत्र मांगने पर वह नहीं दे पाऐ। न ही प्रतिष्ठान पर कोई वैध उर्वरक अनुज्ञापत्र पाया गया। विक्रेता द्वारा अवैध तरीके से उर्वरक का कारोबार किया जाना एवं भण्डारण किया जाना उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) के क्लॉज 7, 8 व 35 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। विपक्षी द्वारा उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर क्लॉज 28(1डी) के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई। दौराने जब्ती मौके पर स्वतंत्र गवाहान मौजूद रहे। विक्रेता द्वारा अवैध तरीके से उर्वरक का कारोबार किया जाना एवं भण्डारण किया जाना उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) के क्लॉज 7, 8 व 35 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उर्वरक की गुणवत्ता परीक्षण के लिए नियमानुसार मौके पर 1 नमूना आहरित कर अधिसूचित राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाया गया। विक्रेता द्वारा उर्वरक कारोबार में उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) के प्रावधानों का उल्लंघन कर अवैध भण्डारण किये जाने हेतु विधि अनुकूल विस्तृत जांच कर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली निम्बाहेडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0209 दिनांक 30.04.2023 दर्ज करवाई गई है। इस प्रकार अवैध तरीके से बिना अनुज्ञापत्र उर्वरकों का विक्रय एवं भण्डारण किया जाना उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) के क्लॉज 7, 8 व 35 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उर्वरक आवश्यक वस्तु होने के कारण जब्तशुदा उर्वरक का निस्तारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के अन्तर्गत राजसात किये जाने का आदेश करने की कृपा करें। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस पत्रावली समाप्त की गई। इस पर हाजिर अधिवक्ता विपक्षी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि जब्तशुदा सामग्री से विपक्षी को कोई सरोकार नहीं है, अतः जब्तशुदा सामग्री का नियामानुसार निस्तारण किये जाने का आदेश दिलाया जावें। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रार्थी कृषि अधिकारी (सामान्य)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय संयुक्त निदेशक जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना किया गया। इसके लिये प्रार्थी कृषि अधिकारी राज्य सरकार के संदर्भित आदेश से अधिकृत है। प्रार्थी कृषि अधिकारी द्वारा मौके पर विपक्षी के कब्जे से सरदार बायोकेम फर्टीलाईजर द्वारा निर्मित बायो एनपीके (केरियर बेस्ड कन्सोर्टीया) के लगभग 405 बेग अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त उर्वरक के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। हाजिर विपक्षी द्वारा जब्तशुदा सामग्री से कोई सरोकार नहीं होना अवगत कराया गया है एवं जब्तशुदा सामग्री का नियामानुसार निस्तारण किये जाने की ईश्तदुआ की गई है, ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा सरदार बायोकेम फर्टीलाईजर द्वारा निर्मित बायो एनपीके (केरियर बेस्ड कन्सोर्टीया) के लगभग 405 बेग भण्डारण करना पाया गया, जो उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार उर्वरक आम उपभोक्ताओं को भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका अवैध उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा उर्वरक का अवैध कारोबार हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा सरदार बायोकेम फर्टीलाईजर द्वारा निर्मित बायो एनपीके (केरियर बेस्ड कन्सोर्टीया) के लगभग 405 बेग राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी कृषि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 30.04.2023 को प्रार्थी कृषि अधिकारी द्वारा विपक्षी ओमप्रकाश नाथ पुत्र घासीलाल नाथ उम्र 50 वर्ष निवासी अटल नगर निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ से से जब्त शुदा सरदार बायोकेम फर्टीलाईजर द्वारा निर्मित बायो एनपीके (केरियर बेस्ड कन्सोर्टीया) के लगभग 405 बेग राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा उर्वरक एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार चित्तौड़गढ़ जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **25.07.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official